उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या-7/2023-जी-2 -209/दस-2023

लखनऊ : दिनांक : 04 दिसम्बर, 2023

<u>अधिसूचना</u>

संशोधन

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :--

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. **(1)** यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 21 मार्च, 2023 से प्रवृत्त होगी।

नियम-7 (1) का संशोधन

2. सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-7 के उपनियम (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :--

"परंतु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में जमा किये गये बकाये अभिदानों की धनराशि सहित उस वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अभिदानों की राशि नियम-8 के उपनियम (1) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।"

नियम-8(1)(4) का संशोधन

3. उक्त नियमावली में, नियम-8 में;

(क) उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :-

"परंतु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में मासिक अभिदानों की राशि आयकर नियम, 1962 के नियम-9घ के उपनियम-(2) के नीचे स्पष्टीकरण के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।"

(ख) उप-नियम (4) में :--

(1) प्रथम परंतुक को निकाल दिया जायेगा ;

(2) द्वितीय परंतुक में, शब्द 'और' को हटा दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) उप-नियम-(4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :--

(5) "उप-नियम-(3) के अधीन निर्धारित या उप-नियम (4) के अधीन घटाये या बढ़ाये गये अभिदान की धनराशि, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अध्यधीन होगी";

नियम-10(3) का संशोधन

4. उक्त नियमावली में, नियम-10 के उप-नियम-(3) में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :--

"परंतु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में अभिदानों के बकाये की धनराशि और उस पर वसूल किये गये ब्याज सहित उस वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अभिदानों की राशि नियम-8 के उप-नियम (1) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट सीमा से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।"

आज्ञा से,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of Constitution, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of notification No-G-2-209/X-2023, Dated: 04 December, 2023

UTTAR PRADESH SHASAN

Vitt (Samanya), Anubhag-2

NOTIFICATION

No. 7/2023-G-2-209/X-2023

Dated: Lucknow, 04 December, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) (AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement	**1-**	**(1)** These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rules, 2023 **(2)** They shall come into force from 21 March 2023.
Amendment of rule-7(1)	**2-**	In General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 herein after referred to as the said rules in rule7, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the limit as specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 8..
Amendment of rule-8(1)(4)	**3-**	In the said rule in rule 8 **(a)** in sub-rule(1) the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that the sum of monthly subscriptions in a financial year shall not exceed the threshold limit referred to in sub-clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub-rule (2) of rule 9D of the Income Tax Rules, 1962": **(b)** in sub-rule(4),- **(1)** The first proviso shall be omitted; **(2)** In the second proviso, the word 'further' shall be deleted; **(c)** after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:- **(5)** The amount of subscription fixed under sub-rule(3) or reduced or enhanced under sub-rule (4) shall be subject to the minimum and maximum limits specified in sub-rule(1)";
Amendment of rule-10(3)	**4-**	In the said rules in rules 10 in sub-rule (3) the following proviso shall be inserted, namely:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		"Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with arrears of subscription and the interest thereon recovered in that financial year shall, in no case, exceed the limit as specified in the proviso of the sub-rule (1) of rule 8",

By order,
Deepak Kumar
Additional Chief Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।